भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **584**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022/18 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

योजनाओं का नाम बदलना

584. श्री नकुल के. नाथ:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद मंत्रालय की किन-किन योजनाओं का नाम बदला गया है; और

(ख) वर्ष 2014 से अब तक उक्त योजनाओं के लिए आवंटित बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क): औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिन योजनाओं का नाम बदला गया है, उनके नामों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी):** सरकार ने सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधान मंत्री जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) के रूप में नया रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 2016 से प्रधान मंत्री जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) कर दिया गया है।

(ii) **चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना:** "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" संबंधी स्कीम को 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका नाम बदलकर "चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना" कर दिया गया था।

(iii) **बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देना:** "साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क औषधि उद्योग को सहायता" संबंधी स्कीम को 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका नाम बदलकर "बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देना" कर दिया गया था।

(iv) **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास स्कीम (पीएमपीडीएस):** "औषध संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)" संबंधी स्कीम का नाम बदलकर "औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास स्कीम (पीएमपीडीएस):" कर दिया गया।

(v) **साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ):** "औषध क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस)" संबंधी स्कीम का नाम बदलकर "साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)" कर दिया गया है।

उर्वरक विभाग और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका नाम वर्ष 2014 के बाद बदल दिया गया हो।

(ख): 2014-15 से औषध विभाग की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

1. औषध विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) स्कीम के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) स्कीम के लिए बजट आवंटन (राशि रु. करोड़ में)			
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
1	2014-15	30.00	9.67
2	2015-16	35.00	16.92
3	2016-17	35.00	49.75
4	2017-18	75.62	75.62
5	2018-19	84.00	42.50
6	2019-20	42.00	35.51
7	2020-21	50.00	65.00
8	2021-22	65.00	68.50

2. औषध विभाग द्वारा कार्यान्वित चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन (राशि रु. करोड़ में)		
वित्त वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
2020-21	7.50	21.05
2021-22	60	225.80

3. औषध विभाग द्वारा कार्यान्वित बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन (राशि रु. करोड़ में)		
वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
2020-21	21.52	1.69
2021-22	36.24	36.24

4. औषध विभाग द्वारा कार्यान्वित औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस) संबंधी स्कीम के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास स्कीम (पीएमपीडीएस) स्कीम के लिए बजट आवंटन (राशि रु. करोड़ में)		
वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
2020-21	1.00	0.50
2021-22	2.00	2.00

5. औषध विभाग द्वारा कार्यान्वित साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)" स्कीम के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) स्कीम के लिए बजट आवंटन (राशि रु. करोड़ में)		
वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
2017-18	10.00	10.00
2018-19	10.90	2.93
2019-20	6.23	2.23
2020-21	12.00	7.23
2021-22	18.00	15.61

****